241

संख्याः– /XVII–5/2017–09(43)/2003(TC)

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग — देहरादूनः दिनांकः 20 मार्च, 2017

विषयः–वीरता/गैर वीरता पदक धारकों को राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य एकमुश्त/वार्षिकी के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–100/XVII-3/14-09(43)/2003, दिनांक 04 फरवरी, 2014 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पुरस्कार प्राप्त अलंकृत सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य एकमुश्त व वार्षिकी का भुगतान किये जाने का प्राविधान किया गया है। वर्तमान में अगर वीरनारी पुनर्विवाह कर लेती है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उक्तानुसार भुगतान बन्द कर दिया जाता है एवं पदक धारक के कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त एवं वार्षिकी दिये जाने का प्राविधान है।

2. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लेते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पुरस्कार प्राप्त अलंकृत सैनिकों एवं शहीद सैनिकों के निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारियों को शासनादेश संख्या–100/XVII-3/14-09(43)/2003, दिनांक 04 फरवरी, 2014 द्वारा अनुमन्य एकमुश्त एवं वार्षिकी का भुगतान तत्काल प्रभाव से किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) वीर नारी (पूरे जीवनभर अथवा दूसरा विवाह करने तक)।
(2) पुत्र (25 वर्ष की आयु तक)/पुत्री (विवाह होने तक)।
(3) माता–पिता।
(4) अविवाहित बहनें।
(5) भाई (25 वर्ष की आयु तक)।

3. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–100/XVII-3/14-09(43)/2003, दिनांक 04 फरवरी, 2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष प्राविधान एवं शर्तें यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या:– 308 (1)/ XVII–5/2017–09(43)/2003(TC) :.तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।